झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–410 / 2019

नवल किशोर सिंह चौधरी और अन्य .... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य ..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री जे0एफ0 टोप्पो, ए0पी0पी0; श्री डी0के0 मालतियार, अधिवक्ता; श्री अमित किस्कु, अधिवक्ता; श्री कृष्णा मुरारी, अधिवक्ता

आदेश सं0 03ः दिनांकः 26वीं जून, 2020

आनंदा सेन, न्याया0 के अनुसार

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उन्हें ऑडियो और वीडियो की स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

2. वर्तमान याचिका को इसकी मूल फाइल डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6457 / 2016 की बहाली के लिए दायर किया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.01.2019

के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन नहीं करने के कारण दिनांक 23.01.2019 को खारिज कर दिया गया।

3. याचियों के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि नई टाइप की गई प्रतियां दाखिल की गई थीं, लेकिन त्रुटि संख्या–4 को छोड़कर अन्य सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। वह निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता यह अभिवचन करता है कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6457/2016 को इसकी मूल फाइल में बहाल करने के तुरंत बाद त्रुटि संख्या 4 को हटा दिया जाएगा।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है।

5. याचियों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, सी0एम0पी0 को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि रिट याचिका (एस) सं0 6457/2016 में जो त्रुटि रह गया है उसे तीन सप्ताह के भीतर अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए।

(आनंदा सेन, न्याया0)